8

संख्या-8097/नौ-5-2013-5बजट/2007

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 04 मार्च, 2014

विषयः वित्तीय वर्ष 2013-14 में नगरीय पेयजल कार्यक्रम (जिला सेक्टर-सामान्य) के अन्तर्गत जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में नगरीय पेयजल कार्यक्रम (जिला योजना) के अन्तर्गत जल सम्पूर्ति कार्य के क्रियान्वयन हेतु प्रावधानित धनराशि **₹ 50.00 करोड़** के सापेक्ष अवशेष धनराशि **₹ 25.00 करोड़ (₹ पच्चीस करोड़ मात्र)** की संलग्न जनपदवार फाँट के अनुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा आहरित कर उत्तर प्रदेश जल निगम के जिलास्तरीय अधिकारियों को तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) स्वीकृत धनराशि शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार ही व्यय किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-640/दस-2013-231/2012, दिनांक 28 मार्च, 2013 में दिए गए दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखा जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग नगरीय क्षेत्रों की हैण्डपम्पों की स्थापना/ रिबोर तथा रिबोरयोग्य नलकूपों के कार्यो पर किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं का चयन किया जायेगा।

(4) धनराशि के उपयोग की सप्ताहवार समीक्षा जिलाधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से की जायेगी तथा प्रत्येक त्रैमास की 2 व 3 तारीख तक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को दिनांक 31.03.2014 तक उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

(6) विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति के समय जो विभिन्न शर्ते निर्धारित की गयी थी, उन्हीं शर्तो के अधीन यह धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

(7) धनराशि के उपयोग की सप्ताहवार समीक्षा जिलाधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से की जायेगी। प्रत्येक माह की 02 व 03 तारीख तक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा।

(8) कोषागार से धनराशि आहरण से संबंधित व्यय-पत्र (वाउचर्स) की संख्या व दिनांक की सूचना को आहरण के एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जाने वाली धनराशि की सीमा तक जनपद की जिला योजना में विभागीय अधिकारी द्वारा आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किया जायेगा और यदि स्वीकृत धनराशि से भिन्न परिव्यय जनपद विशेष में जिला योजना के अधीन उभरकर आता है, तो उपलब्ध होने वाली परिव्यय के अनुसार यथासमय स्वीकृतियाँ संशोधित की जायेगी।

(10) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर पर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(11) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसकी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों, उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत **आयोजनागत** लेखा शीर्षक "2215-*जलापूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम-05-नगरीय पेयजल कार्यक्रमों के निमार्ण कार्य हेतु अनुदान-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान*" के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-8-1319/दस-2014, दिनांक 04 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त ।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-8097(1)/नौ-5-2013, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, वर्क्स लेखा अनुभाग, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
3- निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 शासनादेश संख्या-बी-1-417/दस-2013-18/94 दिनांक 26.02.2013 के प्रस्तर-2(9) की व्यवस्थानुसार जिलाधिकारियों को निर्गत धनराशि का सेन्ट्रल सर्वर से सम्बन्धित कोषागारों को आवंटित करते हुए समस्त जिलाधिकारियों व शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- सम्बन्धित वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/बजट अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
10- राज्य योजना आयोग-2, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11- कम्प्यूटर सेल (वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु)
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या-8097/नौ-5-2013-5बजट/07, दिनांक 04 मार्च, 2014 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0	जनपद का नाम	शासनादेश संख्या-2698/नौ-5-2013-5बजट/2007 दिनांक 24.07.2013 द्वारा स्वीकृत धनराशि	शेष स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4
1	आगरा	146.62	0.00
2	मैनपुरी	10.09	14.30
3	मथुरा	39.39	55.78
4	फिरोजाबाद	83.97	49.73
5	अलीगढ़	19.73	64.00
6	हाथरस	26.03	6.68
7	एटा	13.16	33.44
8	कासगंज	15.52	57.03
9	झांसी	26.92	28.15
10	ललितपुर	30.21	63.18
11	जालौन	150.39	14.62
12	हमीरपुर	85.57	136.91
13	महोबा	27.69	51.86
14	बांदा	32.55	36.83
15	चित्रकूट	10.82	0.00
16	कानपुर नगर	150.00	54.38
17	कानपुर देहात	33.86	65.82
18	फर्रुखाबाद	39.66	47.06
19	कन्नौज	13.21	0.00
20	औरैया	8.92	75.95
21	इटावा	17.55	43.66
22	लखनऊ	72.49	0.00
23	रायबरेली	48.14	0.00
24	हरदोई	6.62	2.32
25	उन्नाव	6.62	27.46
26	सीतापुर	143.71	0.00
27	खीरी	30.64	51.17
28	बरेली	50.78	81.08
29	बदायूं	15.42	80.50
30	पीलीभीत	15.58	39.86
31	शाहजहांपुर	11.79	28.57
32	मेरठ	28.43	33.40
33	बागपत	14.77	30.70
34	गाजियाबाद	34.54	25.10
35	गौतमबुद्धनगर	6.06	2.72
36	बुलन्दशहर	26.12	56.16
37	हापुड़	21.31	14.83
38	सहारनपुर	24.87	6.67

क्र0	जनपद का नाम	शासनादेश संख्या-2698/नौ-5-2013-5बजट/2007 दिनांक 24.07.2013 द्वारा स्वीकृत धनराशि	शेष स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4
39	मुजफ्फरनगर	85.76	0.00
40	शामली	52.86	60.48
41	मुरादाबाद	1.71	7.59
42	अमरोहा	38.82	0.00
43	रामपुर	39.37	41.55
44	बिजनौर	49.87	82.28
45	सम्भल	6.43	25.42
46	इलाहाबाद	12.83	4.17
47	कौशाम्बी	9.57	37.48
48	फतेहपुर	26.55	35.65
49	प्रतापगढ़	24.25	31.53
50	वाराणसी	118.58	110.72
51	चंदौली	11.42	17.94
52	गाजीपुर	40.70	44.81
53	जौनपुर	33.46	65.07
54	संतरविदासनगर	22.62	30.47
55	मिर्जापुर	46.24	21.26
56	सोनभ्रद	0.00	4.22
57	गोरखपुर	11.20	38.29
58	महाराजगंज	5.20	10.23
59	देवरिया	5.74	6.50
60	कुशीनगर	7.22	10.41
61	बस्ती	6.84	6.42
62	संतकबीरनगर	4.80	0.41
63	सिद्धार्थनगर	6.69	27.39
64	आजमगढ़	27.35	103.25
65	मऊ	28.21	40.14
66	बलिया	12.18	24.97
67	फैजाबाद	27.10	0.00
68	अम्बेडकरनगर	1.53	2.53
69	सुल्तानपुर	35.70	121.08
70	अमेठी	86.52	6.31
71	बाराबंकी	32.92	64.79
72	गोण्डा	2.50	2.06
73	बलरामपुर	10.16	13.29
74	श्रावस्ती	8.62	15.07
75	बहराइच	18.73	6.30
	योग	**2500.00**	**2500.00**

(₹ पच्चीस करोड़ मात्र)

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव